पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 188/2024 दिनांक- 15.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 ना0पु0 शिव सागर यादव को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने पर निलम्बन कर दिये गये विभागीय जांच के आदेश

➡ **उ0नि0 ना0पु0 शिव सागर यादव चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला आजमगढ** द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में 10 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अपहृता की बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास न करके मुकदमें को अनावश्यक रुप से लम्बित रखने तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दौरान एनबीडब्लू की गिरफ्तारी, आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाहियां, प्रकाश में आये गो-तस्करी के अभियुक्तों का सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही व हिस्ट्रीशीटरों की नियमित रुप से निगरानी न करने हेतु पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता द्वारा पारित आदेश एवं उच्चाधिकारीगण के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना किया गया।

➡ उपरोक्त आरोप में दिनांक- 14.06.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 ना0पु0 शिव सागर यादव को निलम्बित करते हुये विभागीय जांच** का आदेश दिया गया।

प्रेस नोट

रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ में किया गया "योगाभ्यास" सप्ताह का शुभारम्भ

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 15 से 21 जून तक प्रत्येक जनपद में योग सप्ताह के आयोजन कराने हेतु प्राप्त निर्देश के क्रम में रिजर्व पुलिस लाइन, आजमगढ़ में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में आज दिनांक 15.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाईन आजमगढ़ में योगाभ्यास सप्ताह का शुभारम्भ किया गया।

➡ योगाभ्यास का अभियान दिनांक 15.06.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जायेगा जिसके क्रम में आज दिनांक 15.06.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी की उपस्थिति में कुल लगभग 150 पुलिस कर्मियों को (प्रतिसार निरीक्षक 01, उ0नि0- 05, हे0का0/का0-133 व महिला आरक्षी-10) योग प्रशिक्षक अरविन्द द्वारा योगाभ्यास कराया गया।

पीड़िता को गूगल पे पर बोनस दिलाने के नाम पर रूपया-92000/- की ठगी का पैसा बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में साइबर सेल द्वारा कार्यवाही करते हुए पीडिता का रूपया-92000/- (बानबे हजार) वापस कराया गया।

घटना का विवरण- आवेदिका को एक अज्ञात नम्बर से काल कर गूगल पे पर रूपया 3125/- का बोनस प्राप्त करने को कहा गया जिसके लिए व्हाट्ऐप पर साइबर ठगों द्वारा लिंक भेजा गया जिसपर क्लिक कर आवेदिका द्वारा गूगल पे के माध्यम से साइबर अपराधी के खाते में कुल रूपया 92000/- (बानबे हजार) धोखे से ट्रांसफर कर दिया गया।

कार्यवाही- आवेदिका द्वारा उक्त साइबर फ्राड की जानकारी दिनांक-12.06.2024 को साइबर सेल आजमगढ़ को दी गयी जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल में नियुक्त हे0का0 ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा आवेदिका के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गये रूपयों को ब्लाक कराते हुए दिनांक 14.06.2024 को आवेदिका का रूपया 92000- आवेदिका खाते में वापिस कराया गया।

जागरूकता- किसी भी प्रकार के अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें यह साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। किसी भी प्रकार के लोन के लिए सिर्फ अधिकृत बैंक में ही सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन अथवा 112 हेल्पलाइन नम्बर डायल करें अथवा साइबर सेल आजमगढ़ के नम्बर-941568xxxx पर काल कर सकते हैं।

थाना- रानी की सराय

हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक 14.06.2024 को आवेदक श्री ठाकुर प्रसाद मोदनवाल पुत्र बेचु मोदनवाल नि0 कस्वा रानी की सराय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी के बुआ का लडका छोटू मोदनवाल पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द मोदनवाल नि0 कस्वा रानी की सराय जनपद आजमगढ को विपक्षीगणो के द्वारा जान से मारने की नियत से गाली गुप्ता देते हुए राड व लाठी डन्डा से मारने पीटने आने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/2024 धारा 307/506 भादवि बनाम (1)राजेश सोनकर पुत्र सीता सोनकर (2) लुल्लु सोनकर पुत्र बिजली सोनकर नि0गण सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण राजेश सोनकर पुत्र सीता सोनकर (2) लुल्लु सोनकर पुत्र बिजली सोनकर नि0गण सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 15.06.2024 को व0उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण राजेश सोनकर पुत्र सीता सोनकर (2) लुल्लु सोनकर पुत्र बिजली सोनकर नि0गण सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ अभियुक्त के घर से समय 09.45 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चलन माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 167/2024 धारा 307/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

(1) राजेश सोनकर पुत्र सीता सोनकर (2) लुल्लु सोनकर पुत्र बिजली सोनकर नि0गण सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

बरामदगी --- दो अदद लोहे का राड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1)व0उ0नि0 गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)उ0नि0अजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) का0 अत्मा यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(4)का0 कृष्णा चौधरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना – तहबरपुर

चोरी के हैण्ड पम्प के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व का विवरण-

वादी मुकदमा शशि प्रकाश गोंड पुत्र स्व0 चन्द्रमनी ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जिला आजमगढ़ ने थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 13.06.2024 को रात्रि करीब 09.00 बजे बजे नहर के पास बने नये मकान से वह खाना खाने घर गया, तथा खाना खाकर जब नहर पर नये बने मकान पर गया तो उसी बीच मकान के सामने लगी हैंडपम्प को अजीत कुमार पुत्र रामकेश व अर्जून पुत्र अवधराज ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा खोलकर चुरा ले गये। जिसके आधार पर दिनांक 14.06.2024 थाना स्थानीय मु0अ0सं0 129/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही थी जिसके क्रम में ----

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.06.2024 उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अर्जून पुत्र रामअवध 2. अजीत पुत्र रामकेश निवासीगण ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी गयी हैण्डपम्प के साथ समय 09.05 बजे मधेशिया अण्डर पास पुर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास से गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. अर्जून पुत्र रामअवध निवासी ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
2. अजीत पुत्र रामकेश निवासी ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 129/2024 धारा 379/411 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी 2. हे0का0 बब्बन यादव 3. का0 रत्नेश कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज
दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 03.06.2024 को वादी फिरोज अहमद पुत्र स्व0 इस्माइल ग्राम कुशवां पोस्ट चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद-आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की पुत्री नूरसबा उम्र लगभग 24 वर्ष वर्ष वर्ष 2022 मे मो0 राशिद पुत्र वकील अहमद नि0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ के साथ हूई थी व उसके पति मो0 राशिद पुत्र वकील अहमद , ससुर वकील अहमद पुत्र अज्ञात , सास लैलातुन निशा पत्नी वकील अहमद , ननद सन्नो , शिबा ,सबनम , सना पुत्रीगण वकील अहमद समस्त साकिनान शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा दहेज में 15 लाख रूपये की माँग को लेकर मारना पीटना प्रताड़ित करना व दहेज के लिए खुद की पुत्री नूरसबा की फासी लगाकर हत्या कर दी गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम (1) पति मो0 राशिद पुत्र वकील अहमद उम्र करीब 25 वर्ष (2) ससुर वकील अहमद पुत्र अज्ञात उम्र करीब 55 वर्ष (3) सास लैलातुन निशा पत्नी वकील अहमद उम्र करीब 50 वर्ष (4) ननद सन्नो पुत्री वकील अहमद उम्र करीब 17 वर्ष (5) ननद शिबा पुत्री वकील अहमद उम्र करीब 14 वर्ष (6) ननद सबनम पुत्री वकील अहमद उम्र करीब 30 वर्ष (7) ननद सना पुत्री वकील अहमद उम्र करीब 20 वर्ष समस्त साकिनान शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसमे आज दिनांक 15.06.2024 को सास लैलातुन निशा पत्नी वकील अहमद उपरोक्त, ननद सना पुत्री वकील अहमद उपरोक्त तथा ननद सबनम पुत्री वकील उपरोक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 15.06.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सास लैलातुन निशा पत्नी वकील अहमद,2. ननद सना पुत्री वकील अहमद 3. ननद सबनम पुत्री वकील निवासीगण शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनद आजमगढ़ को ग्राम शहाबुद्दीनपुर से समय करीब 08.55 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 212/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सास लैलातुन निशा पत्नी वकील अहमद ग्राम शबाबुद्दीनपुर थाना बिलियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष
2. ननद सबनम पुत्री वकील ग्राम शबाबुद्दीनपुर थाना बिलियागंज जनपद आजमगढ़ -उम्र 30 वर्ष
3. ननद सना पुत्री वकील अहमद ग्राम शबाबुद्दीनपुर थाना बिलियागंज जनपद आजमगढ़ – उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.05.2024 को वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी बादशाह पता अज्ञात द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा दुष्कर्म करके दिनांक 29.05.24 को रात्रि में 11 बजे रौनापार बाजार में छोड़ दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 363/376 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी. एक्ट. बनाम बादशाह पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है जिसमे नामित अभियुक्त रंगजेब उर्फ बादशाह पुत्र अबैदुल रहमान उर्फ अब्दुल रहमान साकिन दाऊदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 15.06.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 15.06.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 औरंगजेब उर्फ बादशाह पुत्र अबैदुल रहमान उर्फ अब्दुल रहमान साकिन दाऊदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को अण्डर पास श्री नगर सियरहा के पास से समय करीब 08.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 191/24 धारा 363/376 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी. एक्ट. थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. औरंगजेब उर्फ बादशाह पुत्र अबैदुल रहमान उर्फ अब्दुल रहमान साकिन दाऊदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आझमगढ़।
2. का0 राजेश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 दीपू शर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

अपहरण के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

थाना सरायमीर पर दिनांक 02/06/2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि आवेदक की पुत्री उम्र 16 वर्ष दिनांक 25.05.2024 को प्रातः 8 बजे से गायब है। आवेदक द्वारा काफी खोजबीन किया जिससे काफी पता लगाने के बाद पता चला कि आवेदक की पुत्री को सुरज राजभर ग्राम रफीपुर पारा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर जिसका मोबाइल नं 78469xxxxx से फोन से बातचीत करती थी तथा सुरज द्वारा ही आवेदक के लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। आवेदक के दिये गये प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-301/2024 धारा 363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 15.06.2024 को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 15.06.2024 उ0नि0 श्री बासुदेव साहनी हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त जतन राजभर उर्फ सूरज राजभर पुत्र रामसिंह राजभर निवासी ग्राम रफीपुर पारा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष को नोनारी चौहान बस्ती से समय करीब 05.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0न्यायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-301/2024 धारा 363,366 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ , बढोत्तरी धारा 376,भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जतन राजभर उर्फ सूरज राजभर पुत्र रामसिंह राजभर निवासी ग्राम रफीपुर पारा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्मचारीगण-

1.उ0नि0 बासुदेव साहनी मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2.हे0का0 मोतीलाल यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।